स्वीकृति पत्र (बैंक कॉपी)

समूह आईडी: स्वीकृति का दिनांक:

प्रति,

आवेदक नंबर	आवेदक आईडी	नाम

गाँव के ____________, तालुका _, जिला

सभी,

विषय: जेएलजी सदस्य को टर्म क्रेडिट सुविधा की स्वीकृति

आपके आवेदन दिनांक ,के संदर्भ के साथ, हमें निम्नलिखित शर्तों के अनुसार उत्पादन क्रेडिट सुविधा की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है।.

समूह स्वीकृत रकम: ______ सुविधा: ________ स्वीकृति का दिनांक:

क्रमांक.	ऋणकर्ता के नाम	रु. तक सीमित.	उद्देश्य	ब्याज दर ROI
अवधि: __ किश्तें। वितरण के बाद				
वापसी: निर्धारित समान किश्तें।				

जेएलजी के अन्य सदस्यों में से प्रत्येक द्वारा लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान की गारंटी देने के लिए प्रत्येक सदस्य सहमत होता है।

बैंक अपने स्वविवेक से प्रत्येक उधारकर्ता को दी गई ऋण सुविधाओं के संबंध में ऐसी संस्था (संस्थाओं) को इस प्रकार की सूचना दे सकता है। ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हुए अपने और गारंटरों के विधिवत हस्ताक्षर के साथ कृपया इस स्वीकृति पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।.

आपके विश्वसनीय,

बीसी माइक्रो फाइनेंस बिजनेस लीड (शाखा)

(ऐक्सिस बैंक लिमिटेड की ओर से)

हम उपरोक्त नियम और शर्तें स्वीकार करते हैं

उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 1	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 2	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 3	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 4
उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 5	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 6	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 7	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 8
उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 9	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 10		

प्रसंस्करण शुल्क रसीद (बैंक कॉपी)

हम, ऐक्सिस बैंक लिमिटेड की ओर से, जेएलजी माइक्रो ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए संबंधित ग्राहकों से **प्रसंस्करण शुल्क (पीएफ)** की ओर निम्नलिखित राशि एकत्र को गई है

क्रमांक.	आवेदक आईडी	नाम	पीएफ संगृहीत

तारीख:

स्थान: **बीसी शाखा अधिकारी के हस्ताक्षर**

मांग वचन पत्र

(समूह ऋण रकम) र मांग पर, हम समूह आईडी के साथ ब्याज दर ROI

श्री/श्रीमती: आवेदक आईडी:
श्री/श्रीमती: आवेदक आईडी:
श्री/श्रीमती: आवेदक आईडी:
श्री/श्रीमती: आवेदक आईडी:
श्री/श्रीमती: आवेदक आईडी:
श्री/श्रीमती: आवेदक आईडी:
श्री/श्रीमती: आवेदक आईडी:
श्री/श्रीमती: आवेदक आईडी:
श्री/श्रीमती: आवेदक आईडी:
श्री/श्रीमती: आवेदक आईडी:

ऐक्सिस बैंक लिमिटैड/ ________________ को (ऐक्सिस बैंक लि. का बीसी) आदेश पर, रुपए ________________ मात्र) की ग्रुप लोन राशि लोन पर ब्याज के साथ अदा करने का वचन देता हूं, जो लोन की संपूर्ण अवधि के लिए वैध होगा.

रेवेन्यू स्टैंप

उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 1	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 2	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 3	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 4
उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 5	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 6	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 7	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 8
उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 9	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 10		

डी.पी. नोट वितरण सह छूट पत्र

ऐक्सिस बैंक लिमिटैड.

प्रिय महोदय,
कृपया साथ में दिए गए मांग वचन पत्र की सुर्पुदगी दिनांक समूह ऋण रकम के लिए रू
रुपये हमारे द्वारा बनाया समूह ID ऐक्सिस बैंक लिमिटैड के पक्ष में. बीसी से ऐक्सिस बैंक लिमिटैड)
मैं/ हम उपरोक्त मांग वचन पत्र को प्रस्तुत करने के मेरे / हमारे अधिकारों का भी परित्याग। मैं/हम उपरोक्त मांग वचन पत्र को प्रस्तुत करने के मेरे/हमारे अधिकारों का भी अधित्याग करते हैं। हम आगे आपसे यह अनुरोध करते हैं कि हम परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 98 (ए) के संदर्भ में अनादर के नोटिस को समाप्त कर देते हैं, और यह कि हमारे द्वारा मांग पर भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में ऐक्सिस बैंक लिमिटैड/ बीसी से ऐक्सिस बैंक लिमिटैड)

उक्त मांग वचन पत्र आपके लिए एक सतत प्रतिभूति के रूप में संचालित होगा जो अंतिम शेष के भुगतान के लिए प्रवर्तनीय है या अब या उसके बाद प्रदान की गई ऋण सुविधा के तहत भुगतान नहीं की गई सभी राशियों के भुगतान के लिए लागू किया जा सकता है; और मैं/हम इस तथ्य के होते हुए भी उक्त मांग वचन पत्र पर उत्तरदायित्व रहना चाहते हैं कि समय-समय पर ऋण खाते में किए गए भुगतान द्वारा क्रेडिट सुविधा को कम या समाप्त किया जा सकता है या यहां तक कि कथित खाते (ओं) का शेष ऋण में जमा किया जा सकता है।

उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 1	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 2	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 3
उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 4	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 5	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 6
उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 7	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 8	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 9
उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 10		

स्थान: ____________________________ तारीख: ____________________________

संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) समझौता

तारीख: **समूह आईडी:**

ऋण राशि: रु. ऋण की अवधि: महीने ऋण का उद्देश्य: **सूक्ष्म ऋण**

जेएलजी लोन एग्रीमेंट के नियम एवं शर्तें

1. ऋण प्रदान करना: ऋण लेने वालों में से प्रत्येक के प्रतिनिधित्व के आधार पर और ऋण लेने वालों द्वारा सभी नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन, ऐक्सिस बैंक लिमिटैड प्रत्येक ऋण लेने वाले को "संयुक्त देयता समूह ऋण" के अंतर्गत ऐक्सिस बैंक लिमिटैड के ऋण [ऋणों] से [................................] रुपए ["मूल"] धन की राशि उधार लेने के लिए सहमत होगा।.
2. ब्याज दर: ऋण पर ETB प्रभावी ब्याज दर% प्रति वर्ष है। ब्याज की दर अर्थात ETB प्रभावी ब्याज दर% प्रति वर्ष ETB ऋणी द्वारा प्रति [.] देय ऋण की पूरी अवधि हेतु वैध होगी, बकाया राशि पर साप्ताहिक अथवा मासिक अंतराल के साथ, ऐक्सिस बैंक लिमिटैड की नीति एवं समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप ["ब्याज"]।
3. यह पत्र स्वीकृति के दिनांक से 30 दिन तक बैंक के अंतर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार वैध होगा.
4. नर्भुगतान: जब तक पुनर्भुगतान की पूर्वमांग ऐक्सिस बैंक लिमिटैड द्वारा नहीं की जाती है, मूल और ब्याज तथा लागत और शुल्क, जेएलजी ऋण के इस समझौते के निष्पादन/वितरण की तारीख के बाद से संबंधित उधारकर्ताओं द्वारा देय राशि को उधारकर्ता द्वारा मासिक/पंद्राह दिन/साप्ताहिक किश्तों में चुकाया जाएगा। जेएलजी ऋण के लिए सभी पुनर्भुगतान पहले लागत, शुल्क, ब्याज और अंत में शेष राशि पर लागू किए जाएंगे। जेएलजी ऋण के लिए पुनर्भुगतान अवधि का किसी भी प्रकार विस्तार ऐक्सिस बैंक लिमिटैड पूर्ण विवेक पर होगा।
5. गारंटी संबंधी दायित्व: इसमें से प्रत्येक उधार लेने वाले संयुक्त रूप से और अलग-अलग, इस अनुबंध ("समूह गारंटी"") के अंतर्गत समूह के प्रत्येक अन्य उधारकर्ता द्वारा प्राप्त जेएलजी ऋण की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से गारंटी देता है। प्रत्येक उधारकर्ता संयुक्त रूप से और अलग-अलग उक्त जेएलजी ऋण को चुकाने का वचन देता है और इसके द्वारा लेन-देन की पूरी जानकारी होने की पुष्टि करता है। इसके बाद से हर समय के लिए सभी पक्ष इस समझौते के नियमों और शर्तों से बाध्य होने और उनका पालन करने के लिए सहमत होते हैं। जब तक प्रत्येक उधारकर्ता को जेएलजी ऋण का पूर्णरूप से पुनर्भुगतान नहीं किया जाता तब तक किसी भी उधारकर्ता को इस अनुबंध के अधीन उसके दायित्वों से किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी, चाहे सभी या किसी उधारकर्ता के जेएलजी ऋण के किसी भी पूर्व-बंद करना हो, पूर्व भुगतान या वापस लेना हो।
6. संकलन रसीदें: ग्राहक द्वारा बैंक को किए गए सभी भुगतान रसीद के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। उधारकर्ताओं से प्राप्त किसी भी दावे को रसीद द्वारा समर्थित किया जाना होता है। ऐसे प्रमाण के अभाव में किसी दावे को उचित नहीं माना जाएगा।
7. प्रतिनिधित्व: उधारकर्ता संयुक्त तौर पर तथा अलग-अलग रूप से ऐक्सिस बैंक लिमिटैड का प्रतिनिधित्व, वारंट एवं स्वीकार करते हैं कि:

   a. प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध हेतु व्यक्तिगत तौर पर पात्र है तथा उधारकर्ता जेएलजी ऋण प्राप्त करने हेतु योग्य है;
   b. जेएलजी ऋण का उपयोग किसी भी अवैध, गैरकानूनी अथवा अनैतिक उद्देश्यों अथवा गतिविधियों हेतु नहीं किया जाएगा;
   c. सभी एक समूह के तौर पर प्रत्येक गतिविधि में भाग लेंगे तथा समूह हेतु ऐक्सिस बैंक लिमिटैड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सभी दायित्वों का पालन करेंगे। ऐक्सिस बैंक लिमिटैड की पूर्व सहमति के बिना किसी भी स्थिति में समूह का कोई पुनर्गठन नहीं होगा। ऐक्सिस बैंक लिमिटैड के विवेकाधिकार पर एवं समूह के सदस्यों की सहमति से, समूह का पुनर्गठन ऐक्सिस बैंक लिमिटैड के किसी अन्य सदस्य को जोड़कर अथवा राहत देकर किया जा सकता है।

8. जानकारी साझा करने/प्रदान करने का अधिकार: उधारकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से ऐक्सिस बैंक लिमिटैड और इसके एजेंटों को जब आवश्यक हो तो ऐक्सिस बैंक लिमिटैड के संबद्ध संगठनों / बैंक / वित्तीय संस्थान / क्रेडिट सूचना कंपनियाँ (सीआईसी) / एजेंसियां / सांविधिक निकाय / कर प्राधिकरण / केंद्रीय सूचना ब्यूरो / अनुसंधान भागीदार और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें ऐक्सिस बैंक लिमिटैड आवश्यक या उचित समझे, को क्रेडिट इतिहास सहित उधारकर्ता के ऋण की जानकारी से संबंधित सभी जानकारी, डेटा या दस्तावेजों का आदान-प्रदान, साझा करना या निकालने के लिए प्राधिकृत किया है। उधारकर्ता इस सूचना के उपयोग के लिए ऐक्सिस बैंक लिमिटैड को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा ।
9. ऋणी एवं गारंटर एतदद्वारा बैंक/ऋणदाता को विशिष्ट सहमति देते हैं, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3 (13) में परिभाषित (संक्षेप में 'कोड') वित्तीय जानकारी को प्रकट करने / जमा करने हेतु, कोड के अंतर्गत बनाए गए प्रासंगिक विनियमों / नियमों के साथ पढ़ें, जैसा कि समय-समय पर संशोधित एवं लागू होता है एवं जैसा कि समय-समय पर, बैंक/ऋणदाता से प्राप्त ऋण/वित्तीय सुविधाओं के संबंध में, समय-समय पर, किसी भी सूचना उपयोगिता को, जैसा कि कोड की धारा 3 (21) में परिभाषित किया गया है, संबंधित विनियमों के अनुसार, संहिता के अंतर्गत, और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर बैंकों को जारी किए गए निर्देशों एवं इसके द्वारा विशेष तौर पर 'बैंक/ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत वित्तीय जानकारी को तुरंत प्रमाणित करने हेतु सहमत हैं, जब-जब संबंधित 'सूचना उपयोगिता' (संक्षेप में 'आईयू') द्वारा अनुरोध किया जाता है।

10. सभी उधारकर्ता और गारंटर यह समझते हैं कि एक पूर्व शर्त के रूप में, संबंधित उधारकर्ताओं को ऋण /अग्रिम राशि /अन्य धन आधारित और/या गैर-धन आधारित ऋण सुविधाएं देने के संबंध में, बैंक को उधारकर्ताओं और गारंटरों द्वारा ली गई/प्राप्त की जाने वाली ऋण सुविधा के बारे में, उधारकर्ताओं और गारंटरों से संबंधित जानकारी और डेटा के प्रकटीकरण के लिए संबंधित उधारकर्ताओं और गारंटरों की सहमति की आवश्यकता होती है। उधारकर्ताओं और गारंटरों द्वारा माने गए /माने जाने वाले अनुबंध उधारकर्ताओं और गारंटरों और/या, उसके संबंध में और डिफ़ॉल्ट, यदि कोई हो, द्वारा प्रतिबिद्ध और/या, अदायगी की गई हो।

a) उसी प्रकार से, उधारकर्ता और गारंटर, बैंक द्वारा निम्न सभी या ऐसे किसी भी प्रकटीकरण के लिए सहमत होते हैं और सहमति देते हैं:

• उनसे संबंधित डेटा एवं जानकारी

• किसी भी क्रेडिट सुविधा से संबंधित जानकारी अथवा डेटा जो उनके द्वारा प्राप्त किया गया है अथवा प्राप्त किया जाना है तथा

• अगर बैंक द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में उनके द्वारा की गई कोई चूक हो, जैसा कि बैंक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो [इंडिया] लिमिटेड तथा आरबीआई द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को खुलासा करने एवं प्रस्तुत करने हेतु उपयुक्त और आवश्यक समझे।

b) हम घोषणा करते हैं कि बैंक को हमारे द्वारा दी गई जानकारी एवं डेटा सत्य और सही हैं।

c) हम, यह वचन देते हैं:

• क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (भारत) लिमिटेड और इस प्रकार अधिकृत कोई अन्य एजेंसी, बैंक द्वारा बताई गई उक्त जानकारी एवं डेटा को उनके द्वारा उपयुक्त समझे गए तरीके से संसाधित कर सकती है तथा

• इस प्रकार प्राधिकृत क्रेडिट सूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड एवं कोई अन्य एजेंसी, इस निमित्त रिज़र्व बैंक द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट बैंकों/वित्तीय संस्थानों एवं अन्य क्रेडिट अनुदानकर्ताओं अथवा पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा प्रीपेड की गई प्रसंस्कृत सूचना एवं डेटा अथवा उत्पादों पर विचार करने हेतु प्रस्तुत कर सकती है।

11. ऋण राशि की वापसी: ऐक्सिस बैंक लिमिटैड को इस तरह की वापसी हेतु कोई कारण बताए बिना, अपने विवेक पर किसी भी समय ऋण राशि/सुविधाओं को वापस लेने का अधिकार होगा। ऐसी किसी भी वापसी पर, ऐक्सिस बैंक लिमिटैड द्वारा निर्धारित मूलधन, ब्याज एवं अन्य सभी राशि उधारकर्ता द्वारा ऐक्सिस बैंक लिमिटैड द्वारा इस तरह की वापसी की तारीख से 15 दिनों के भीतर देय होगी।

12. नियम एवं शर्तों का परिवर्तन: ऐक्सिस बैंक लिमिटैड के पास किसी भी नियम में संशोधन अथवा पूरक करने का कोई कारण बताए बिना पूर्ण विवेक होगा, जिसमें ब्याज की दर, आवधिकता आदि तक सीमित नहीं है। परन्तु यहाँ पर पक्षकारों को ऐसे परिवर्तन की विधिवत सूचना दी जाएगी। ऐक्सिस बैंक लिमिटैड के कार्यालय में स्थित नोटिस बोर्ड पर अथवा ऐक्सिस बैंक लिमिटैड द्वारा तय किए गए किसी अन्य तरीके से संशोधित शर्तों की सूचना को वैध तथा प्रभावी सूचना माना जाएगा। यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर ऐक्सिस बैंक लिमिटैड अपने विवेकाधिकार पर इस समझौते के अंतर्गत किसी पार्टी के किसी भी या सभी दायित्वों का निर्वहन अथवा परिवर्तन करता है, तो ऐक्सिस बैंक लिमिटैड द्वारा इस तरह के निर्वहन से अन्य पार्टियों को इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों से मुक्त नहीं किया जाएगा।

13. पूर्व - बंद करने का अधिकार: उधारकर्ता ऐसे पूर्व - बंद होने के समय मूलधन, ब्याज और किसी भी लागत एवं शुल्क को प्रेषित करके ऋण को पूर्व - बंद करने का हकदार होगा तथा शेष अवधि हेतु कोई ब्याज और देय नहीं होगा। हालांकि, अगर देय ब्याज ऐसे न्यूनतम प्रसंस्करण एवं परिचालन शुल्क से कम है, जो लागू कानूनों के अधीन है, तो इस संबंध में गणना की जा सकने वाली ब्याज की ऐसी अंतर दर पर न्यूनतम शुल्क लगाया जाएगा। इसमें पूर्व-बंद शुल्क कोई नहीं है

14. बकाया राशि की गणना: ऐक्सिस बैंक लिमिटैड द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड एवं ऐक्सिस बैंक लिमिटैड के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित प्रमाण पत्र उधारकर्ता से बकाया राशि का निर्णायक प्रमाण होगा। उक्त गणना के बारे में किसी भी विवाद/असहमति की स्थिति में, उधारकर्ता को ऐक्सिस बैंक लिमिटैड द्वारा बकाया भुगतान अथवा मांग को रोकने का कोई हक नहीं होगा।

15. सेट ऑफ: किसी भी लागू कानून के अंतर्गत ऐक्सिस बैंक लिमिटैड के सेट ऑफ के सभी अधिकारों के अलावा और सीमित नहीं, और ऐक्सिस बैंक लिमिटैड ने कोई मांग की है अथवा नहीं या उधारकर्ता के दायित्व परिपक्व हो गए हैं, ऐक्सिस बैंक लिमिटैड के पास उधारकर्ता के सभी पैसे को सेट-ऑफ या उचित करने का अधिकार होगा साथ ही प्रत्येक गारंटर संयुक्त तौर पर और गंभीर रूप से ऐक्सिस बैंक लिमिटैड अथवा उसके किसी समूह की संस्थाओं के साथ अपने किसी भी खाते में क्रेडिट करने हेतु तैयार होंगे तथा संबंधित पक्ष ऐक्सिस बैंक लिमिटैड को ऐक्सिस बैंक के साथ उधारकर्ता के ऐसे संबंधित खाते को डेबिट करने हेतु अधिकृत करता है।

16. यदि सभी या कोई एक उधारकर्ताओं भुगतान ना करने की स्थिति में होता है। उधारकर्ताओं को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक या अधिक के घटित होने पर डिफ़ॉल्ट रूप से कार्य करने के लिए माना जाएगा [इसके बाद "डिफ़ॉल्ट की घटना" के रूप में संदर्भित]:

a. अगर उधारकर्ता डिफ़ॉल्ट की घटना करता है। अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित में से किसी एक अथवा ज्यादा घटनाओं के घटित होने पर ऋणी को चूक का कार्य करने वाला माना जाएगा। [इसके बाद " भुगतान चूक की घटना" के रूप में संदर्भित]:

i. उधारकर्ता यहाँ किसी भी नियम एवं शर्तों और/अथवा अनुबंधों में चूक अथवा ऐक्सिस बैंक लिमिटैड को कोई गलत बयानी या उल्लंघन करता है अथवा
ii. उधारकर्ता कोई भी जानकारी अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है जो ऐक्सिस बैंक लिमिटैड द्वारा आवश्यक हो सकता है; अथवा
iii. कोई और भी परिस्थिति हो, जो, ऐक्सिस बैंक लिमिटैड की एकमात्र राय में, बैंक के हितों से खिलवाड़ करती हो।

17. प्राधिकरण/असाइनमेंट: उधारकर्ता स्पष्ट तौर पर स्वीकार करता है और स्वीकार करता है कि ऐक्सिस बैंक लिमिटेड, ऐसी गतिविधियों को स्वयं करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अथवा अपने अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के जरिए, ऐक्सिस बैंक लिमिटेड के चयन के अनुसार एक या एक से ज्यादा तृतीय पक्षों को नियुक्त करने हेतु हकदार तथा पूर्ण शक्ति और अधिकार प्राप्त कर सकते हैं अथवा अन्यथा किसी भी ऋण के प्रशासन से संबंधित इस समझौते के अंतर्गत अपने सभी कार्यों, अधिकारों एवं शक्तियों को ऐसे तीसरे पक्ष को सौंप सकते हैं जो उधारकर्ता से किसी भी भुगतान एवं अन्य राशियों को लेने तथा प्राप्त करने के अधिकार और अधिकार सहित, ऐक्सिस बैंक लिमिटेड की ओर से उधारकर्ता द्वारा देय हो एवं इस संबंध में हस्ताक्षरित किसी भी और सभी समझौतों के अंतर्गत और नोटिस भेजने, निवास में भाग लेने सहित सभी कानूनी कृत्यों, कार्यों, मामलों एवं उससे जुड़ी चीजों को निष्पादित करने हेतु अथवा उधारकर्ता का कार्यालय अथवा अन्यथा उधारकर्ता से संपर्क करने हेतु हो। उधारकर्ता एवं गारंटर आगे स्पष्ट तौर पर यह मानते हैं कि ऐक्सिस बैंक लिमिटेड के पास पोर्टफोलियो की बिक्री के जरिए अथवा अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति को यह अनुबंध सौंपने का विकल्प होगा, तथा इस तरह के लेन-देन को पूर्व अथवा आगे की सूचना की जरुरत के बिना अनुमोदित एवं अधिकृत करने अथवा उधारकर्ता से अनुमोदन करने का।
18. प्रोसेसिंग प्रभार ऋणकर्ता, रू. 50,000 से अधिक कुल स्वीकृत धनराशियों का 1.49% तक (GST सहित) (निकटतम रुपए में पूर्णांकित करना) एकमुश्त अप्रतिदेय प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में भुगतान करने हेतु सहमत है। वितरण के दौरान प्रोसेसिंग शुल्क की कटौती की जाएगी और ग्राहक को शेष राशि प्रदान की जाएगी।
19. जीएसटी: सभी शुल्कों एवं प्रभार (जीएसटी) पर लागू दरों के अनुसार (जहाँ भी जीएसटी लागू है) वस्तु एवं सेवा कर अतिरिक्त लिया जाएगा।
20. बीमा प्रीमियम: उधारकर्ता स्वीकृत ऋण राशि के विरुद्ध स्वयं को अथवा अपने पति अथवा पत्नी अथवा परिभाषित रक्त संबंधियों या दोनों (एकल/विधवा/तलाकशुदा उधारकर्ताओं के मामले में) का ऋण अवधि के बराबर (निकटतम रुपए में पूर्णांकित करना) अवधि हेतु बीमा करवाने का विकल्प चुन सकता है। अगर बीमा प्रीमियम चुना जाता है, तो संवितरण के दौरान स्वीकृत राशि से तदनुसार कटौती की जाएगी और बाकी राशि उधारकर्ता को दे दी जाएगी।
21. हमें____ (का बीमा एजेंट) को लाइफ शील्ड के अंतर्गत मुझे/हमें कवरेज देने हेतु अपनी सहमति देता हूँ- द्वारा ली गई एक समूह टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी (का बीमा एजेंट) अपने सूक्ष्म ऋण ग्राहकों को कवर करने हेतु, मैं बिना शर्त सहमत हूँ तथा______ के पक्ष में सुनिश्चित करता हूँ (का बीमा एजेंट) कि मेरी/हमारी मृत्यु पर मेरे बीमा दावे के आवेदन को संसाधित करने एवं दावा राशि प्राप्त करने हेतु इसे मेरे/हमारे बकाया ऋण में समायोजित करें तथा शेष राशि का भुगतान मेरे नामित/कानूनी उत्तराधिकारी/लाभार्थी को करें।______
22. मैं बिना शर्त सहमत हूँ और बीसी से ऐक्सिस बैंक लिमिटेड) लिमिटेड के पक्ष में पुष्टि करता हूँ मेरी/हमारी मृत्यु पर मेरे बीमा दावे के आवेदन को संसाधित करने हेतु और दावा राशि प्राप्त करने हेतु और इसे मेरे बकाया ऋण में समायोजित करने हेतु और शेष राशि का भुगतान मेरे नामित/कानूनी उत्तराधिकारी/लाभार्थी को करने हेतु।
23.सामान्य खण्ड:

a. उधारकर्ता एतद्द्वारा और यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं और आश्वासन देते हैं कि किसी भी अनुबंध/अनुप्रयोग/और संचार में किसी भी समय प्रदान की गई जानकारी, तथा संबंधित मूल्यांकन प्रपत्र एवं इस संबंध में विभिन्न अन्य दस्तावेज सभी मामलों में सही, सही एवं अद्यतन हैं तथा होंगे और यह कि कुछ भी रोका नहीं गया है अथवा नहीं रखा जाएगा तथा जानकारी में किसी भी बदलाव के मामले में यह उनका दायित्व होगा कि वे तुरंत ऐक्सिस बैंक लिमिटेड को सूचित करें।
b. उत्तराधिकारी एवं उत्तरापेक्षी: ऐक्सिस बैंक लिमिटेड के सभी संदर्भ में, उधारकर्ता में शामिल होगा, इसके/उनके उत्तराधिकारी, समनुदेशित और/अथवा उत्तराधिकारी, जहाँ संदर्भ की आवश्यकता होगी।
c. पृथक्करणीयता: किसी भी शब्द, वाक्यांश, खंड, पैराग्राफ, प्रतिबंध, वाचा, समझौते की अमान्यता अथवा अप्रवर्तनीयता अथवा इसके अन्य प्रावधान किसी भी अन्य प्रावधान अथवा उसके किसी भाग की वैधता अथवा प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेंगे।

24. शासी कानून एवं अधिकार क्षेत्र: यह समझौता शासित होगा, और समझा तथा इसकी व्याख्या की जायेगी भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार। इस समझौते की व्याख्या, आवेदन अथवा प्रदर्शन से संबंधित अथवा इसके अस्तित्व, वैधता अथवा समाप्ति सहित किसी भी विवाद, विवाद अथवा दावे से संबंधित, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार ऐक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा नामित एकमात्र मध्यस्थ द्वारा अंतिम और बाध्यकारी मध्यस्थता द्वारा तय किया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान मुंबई होगा और कार्यवाही में प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। इसमें चेन्नई के न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होगा इसकी वैधता, प्रवर्तनीयता के सवालों पर इस समझौते की व्याख्या करने हेतु।
25. ऋणदाताओं हेतु उचित व्यवहार संहिता, जैसा कि ऐक्सिस बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है, ऋण पर लागू होगा। ऋणदाताओं हेतु उचित व्यवहार संहिता की प्रति बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। https: // www.axisbank.com/docs/default-source/default- document-library/fpc-retail-microfinance-21-4-21.pdf
26. अवधि: यह समझौता मंजूरी की तारीख से शुरू होगा और/अथवा जेएलजी ऋण के संवितरण से, और उधारकर्ता द्वारा संपूर्ण जेएलजी ऋण की चुकौती तक अथवा ऐक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा पहले समाप्त किए जाने तक प्रभावी रहेगा। यह आगे विशेष तौर पर कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में इस समझौते की समाप्ति पार्टियों के बीच सहमत किसी भी अन्य अनुबंध के अंतर्गत किसी भी नियम एवं शर्तों को परिवर्तित नहीं करती अथवा बदलाव नहीं करता है तथा यह यहाँ स्वतंत्र है।
27. भारतीय रिजर्व बैंक ने 'अग्रिमों से संबंधित आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर अपने दिशानिर्देशों (संदर्भ संख्या आरबीआई/2021-2022/125 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.68/21.04.048/2021-22) के जरिए - स्पष्टीकरण' दिनांक 12-11-2021 ने मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के कुछ पहलुओं को स्पष्ट और / अथवा सुसंगत बनाया है। उधारकर्ता सहमत है, वचन देता है एवं पुष्टि करता है कि बैंक निम्नलिखित स्पष्टीकरणों को उधारकर्ता के ध्यान में लाया है तथा उधारकर्ता इस बात की पुष्टि करता है कि उसे इस प्रकार से अवगत कराया गया है:

1. <u>विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) एवं गैर - निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण</u>

i. देय राशि: इसका अर्थ होगा मूलधन / ब्याज / ऋण खाते पर लगाया गया कोई भी प्रभार जो देय है ऋण सुविधा की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर।
ii. अतिदेय: इसका अर्थ होगा मूलधन / ब्याज / ऋण खाते पर लगाया गया कोई भी प्रभार जो देय हैं, लेकिन जिनका भुगतान नहीं किया गया है निर्धारित अवधि के भीतर ऋण सुविधा की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार। दूसरे शब्दों में, किसी भी क्रेडिट सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि 'अतिदेय' है अगर बैंक निर्धारित नियत तारीख तक इसका भुगतान नहीं करता है।
iii. **उधारकर्ता के खाते में भुगतान के विनियोग में 'फर्स्ट इन फर्स्ट आउट' (फीफो) के सिद्धांत की प्रासंगिकता:** : उधारकर्ता एसएमए/एनपीए स्थिति का निर्धारण करने हेतु अतिदेय दिनों की संख्या पर पहुंचने हेतु (फीफो) का सिद्धांत यानी 'फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट' अकाउंटिंग पद्धति प्रासंगिक है। फीफो सिद्धांत के अनुसार ऋण खाते में सबसे पुराना बकाया पहले चुकाया जाना चाहिए। इस प्रकार फीफो विधि की जरुरत है कि जो पहले देय है उसे पहले उधारकर्ता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर 01-02-2021 को किसी ऋण खाते में कोई अतिदेय नहीं है एवं X रुपए की राशि मूल किस्त/ब्याज/शुल्कों के भुगतान हेतु देय है, ऋण खाते में 01-02-2021 को अथवा उसके बाद जमा किए जाने वाले किसी भी भुगतान का उपयोग 01-02-2021 को बकाया राशि का भुगतान करने हेतु किया जाएगा। यह मानते हुए कि कुछ भी भुगतान नहीं किया गया है / अथवा फरवरी के महीने के दौरान देय राशि का आंशिक भुगतान (रु. Y) है, 01-03-2021 को अतिदेय रु. X - रु. Y होगा। इसके अतिरिक्त, रु. Z की राशि देय हो जाती है, 01-03-2021 के अनुसार। अब खाते में किसी भी भुगतान का आंशिक भुगतान 01-03-2021 को अथवा उसके बाद पहली बार 01-02-2021 (रु. X - रु. Y) के आंशिक देय का भुगतान करने हेतु उपयोग किया जाएगा। अगर रु. X - रु. Y से ज्यादा वसूली होती है, तो 01-02-2021 की बकाया राशि की वसूली के बाद, शेष राशि को 01-03-2021 की बकाया राशि की वसूली के रूप में माना जाएगा।
iv. **सबसे पुराने बकाया की उम्र:**
सबसे पुरानी बकाया राशि की गणना दिनों में की जाती है, उस तारीख से जब सबसे पुराना भुगतान देय होता है तथा अवैतनिक रहना जारी रहता है। उपरोक्त सन्दर्भ में, अगर 01-02-2021 से संबंधित बकाया राशि 01-03-2021 तक अवैतनिक रहती है, तो सबसे पुरानी बकाया राशि की गणना 02-03-2021 को 29 दिनों के तौर पर की जाती है।

(b) **विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) एवं गैर - निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण**
ऋणदाता संस्थान ऋण खातों में चूक होने पर तुरंत उन्हें विशेष उल्लेख लेखा (Special Mention Accounts - SMA) के रूप में वर्गीकृत करके पहचान लेंगे। एसएमए/एनपीए श्रेणी के वर्गीकरण का आधार निम्नानुसार होगा:

परिक्रामी सुविधाओं के अलावा ऋण		**नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट की प्रकृति में ऋण**	
एसएमए उप श्रेणियां	वर्गीकरण का आधार – मूलधन अथवा ब्याज भुगतान अथवा कोई अन्य राशि पूर्ण अथवा आंशिक तौर पर अतिदेय	एसएमए उप श्रेणियां	वर्गीकरण हेतु आधार - बकाया राशि स्वीकृत सीमा अथवा आहरण शक्ति, जो भी कम हो, से ज्यादा समय हेतु लगातार बनी रहती है:
एसएमए-0	30 दिनों तक	लागू नहीं	लागू नहीं
एसएमए -1	30 दिनों से अधिक एवं 60 दिनों तक	एसएमए -1	30 दिनों से अधिक एवं 60 दिनों तक
एसएमए -2	60 दिनों से अधिक एवं 90 दिनों तक	एसएमए -2	60 दिनों से अधिक एवं 90 दिनों तक

(c) **गैर - निष्पादित परिसंपत्ति:**
गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) एक ऋण अथवा अग्रिम है जहाँ:

i. मीयादी ऋण की बाबत मूलधन का ब्याज एवं/अथवा किस्त 90 दिन से ज्यादा की अवधि हेतु अतिदेय रहता है,
ii. ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता नीचे दर्शाए अनुसार 'ऑर्डर से बाहर' रहता है,
iii. खरीदे गए तथा रियायती बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से ज्यादा समय तक अतिदेय रहता है,
iv. कम अवधि की फसलों के लिए दो फसल मौसमों के लिए उस पर मूलधन अथवा ब्याज की किस्त बकाया रहती है
v. उस पर मूलधन अथवा ब्याज की किस्त लंबी अवधि की फसलों के लिए एक फसल सत्र के लिए बकाया रहती है।
vi. भारतीय रिजर्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निर्देश, 2021 के संदर्भ में किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में 90 दिनों से ज्यादा समय तक चलनिधि सुविधा की राशि बकाया रही है।
vii. व्युत्पन्न लेनदेन के संबंध में, व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक चिन्ह - से - बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिदेय प्राप्य, अगर ये संदाय हेतु विनिर्दिष्ट नियत तारीख से 90 दिन की अवधि हेतु अवैतनिक रहते हैं.

(d) **आउट ऑफ ऑर्डर' 'स्थिति:**
किसी खाते को 'आउट ऑफ ऑर्डर' के रूप में माना जाएगा अगर:

i. सीसी/ओडी खाते में बकाया शेष 90 दिन तक स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से निरन्तर ज्यादा रहता है, अथवा
ii. सीसी/ओडी खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से कम है लेकिन 90 दिनों तक लगातार कोई क्रेडिट नहीं है, अथवा सीसी/ओडी खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से कम है लेकिन क्रेडिट पर्याप्त नहीं हैं पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने हेतु।

भुगतान की नियत तारीख	भुगतान की तिथि	भुगतान कवर	दिनों में सबसे पुराने बकाया की आयु	एसएमए/एनपीए श्रेणीकरण	तब से एस.एम.ए.दिनांक/एसएमए वर्ग दिनांक	एनपीए श्रेणीकरण	एनपीए तिथि
01.01.2022	01.01.2022	पूरे देय राशि तक 01.01.2022	0	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
01.02.2022	01.02.2022	कोई भुगतान अथवा आंशिक भुगतान बकाया नहीं 01.02.2022	1	एसएमए-0	01.02.2022	लागू नहीं	लागू नहीं
01.02.2022	02.02.2022	कोई भुगतान अथवा आंशिक भुगतान बकाया नहीं 01.02.2022	2	एसएमए-0	01.02.2022	लागू नहीं	लागू नहीं
01.03.2022		01.02.2022 का बकाया पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया 01.03.2022 ईओडी पर भी देय है 01.03.2022	29	एसएमए-0	01.02.2022	लागू नहीं	लागू नहीं
		दिनांक 01.02.2022 के बकाया का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है, दिनांक 01.03.2022 के बकाया का भुगतान नहीं किया गया है ईओडी में 01.03.2022	1	एसएमए-0	01.03.2022	लागू नहीं	लागू नहीं
		ईओडी में 01.02.2022 तथा 01.03.2022 के पूर्ण बकाया का कोई भुगतान नहीं 03.03.2022	31	एसएमए -1	01.02.2022 / 03.03.2022	लागू नहीं	लागू नहीं
		दिनांक 01.02.2022 के बकाया का पूर्ण भुगतान, देय 01.03.2022 पूरी तरह से नहीं ईओडी पर भुगतान 01.03.2022	1	एसएमए-0	01.03.2022	लागू नहीं	लागू नहीं
		01.02.2022 के बकाये का भुगतान नहीं,01.03.2022 तथा दिनांक 01.04.2022 को ईओडी में देय राशि 01.04.2022	60	एसएमए -1	01.02.2022 / 02.04.2022	लागू नहीं	लागू नहीं
		01.02.2022 तक के बकाये का भुगतान नहीं 01.04.2022 ईओडी में 02.04.2022	61	एसएमए -2	01.02.2022 / 02.04.2022	लागू नहीं	लागू नहीं
01.05.2022		01.02.2022 तक के बकाये का भुगतान नहीं 01.05.2022 ईओडी में 01.05.2022	90	एसएमए -2	01.02.2022 / 02.04.2022	लागू नहीं	लागू नहीं
		01.02.2022 तक के बकाये का भुगतान नहीं 01.05.2022 ईओडी में 02.05.2022	91	एनपीए	लागू नहीं	लागू नहीं	02.05.2022
01.06.2022	01.06.2022	ईओडी में 01.02.2022 की पूरी तरह से भुगतान की गई बकाया राशि 01.06.2022	93	एनपीए	लागू नहीं	एनपीए	02.05.2022
01.07.2022	01.07.2022	01.03.2022 के पूरे बकाया का भुगतान किया तथा 01.04.2022 ईओडी में 01.07.2022	62	एनपीए	लागू नहीं	एनपीए	02.05.2022
01.08.2022	01.08.2022		32	एनपीए	लागू नहीं	एनपीए	02.05.2022
01.09.2022	01.09.2022	01.07.2022 के पूरे बकाया का भुगतान किया तथा 01.08.2022 ईओडी में 01.09.2022	1	एनपीए	लागू नहीं	एनपीए	02.05.2022
01.10.2022	01.10.2022		0		लागू नहीं	लागू नहीं	

(e) उधारकर्ता सहमत है तथा स्वीकार करता है कि एसएमए एवं एनपीए के वर्गीकरण तथा चित्रण का तरीका जैसा कि उप - खंडों में प्रदान किया गया है (क) से (घ) जिसमें बैंक को समय - समय पर आरबीआई द्वारा जारी किए गए विभिन्न लागू विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार एसएमए/एनपीए के रूप में खातों को वर्गीकृत करना आवश्यक है तथा:

i. यह समय-समय पर जारी मामले में आरबीआई के दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार बदलने अथवा संशोधित करने हेतु उत्तरदायी है। बैंक द्वारा समय - समय पर उधारकर्ता को ऐसे किसी भी परिवर्तन की सूचना दी जाएगी तथा उधारकर्ता सहमत है एवं स्वीकार करता है कि इस तरह की सूचना समझौते में आगे संशोधन की जरुरत के बिना दिए गए तरीके एवं चित्रों को तदनुसार संशोधित करेगी अथवा उधारकर्ता की विशिष्ट स्वीकृति की जरुरत होगी; तथा

ii. बैंक को उधारकर्ता के खाते को वर्गीकृत करने का अधिकार होगा समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी किए गए लागू नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के साथ एसएमए/एनपीए के रूप में भले ही वर्गीकरण का तरीका एवं उसके उदाहरण इस समझौते अथवा स्वीकृति पत्र (पत्रों) में निर्धारित नहीं हैं।

28. मैं/हम सहमत हैं कि भौतिक माध्यम से/मेरे/हमारे गीले हस्ताक्षर के माध्यम से ऋण दस्तावेजों/समझौतों के निष्पादन के अलावा, बैंक ई-स्टांप और ई-हस्ताक्षर की सुविधाएं भी प्रदान कर सकता है, ताकि ऋण दस्तावेजों/समझौतों को मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टांप लगाया जा सकता है और हमारे द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है। स्टांप शुल्क के भुगतान और ई-हस्ताक्षर सुविधाओं सहित ई-स्टांप प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा की गई लागत को मेरे/हमारे चालू खाते/बचत खाते/नकद क्रेडिट खाते/ओवरड्राफ्ट खाते से डेबिट किया जाएगा। एक्सिस बैंक लिमिटेड से टर्म लोन/कोई अन्य बैंकिंग सुविधाएं ली गई/ली जानी हैं

29. बैंक आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारी अथवा अपने कर्मचारियों द्वारा अनुचित व्यवहार हेतु जवाबदेह होगा तथा समय पर शिकायत का निवारण प्रदान करेगा।

30. शिकायत निवारण: स्तर 1 में कॉल सेंटर नंबर शामिल हैं: 1800-419-5577, 1800-419-5577. उधारकर्ता बैंक के नोडल अधिकारी से भी संपर्क कर सकता है अगर ग्राहक स्तर 1 में ग्राहक को दी गई प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है

ई – मेल - nodal.officer@axisbank.com
दूरभाष क्रमांक 080 -61865200
समय: सुबह 9: 30 बजे से शाम 5: 30 बजे तक सोमवार से शनिवार (दूसरे एवं चौथे शनिवार और बैंक छुट्टियों को छोड़कर)

उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 1	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 2
उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 3	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 4
उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 5	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 6
उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 7	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 8
उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 9	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 10

बैंक का आधिकारिक नाम: ____________________________

बैंक आधिकारिक के हस्ताक्षर:

पदनाम:: ____________________________

तारीख: ______________________

स्वीकृति पत्र (ग्राहक कॉपी)

समूह आईडी: स्वीकृति का दिनांक:

प्रति,

आवेदक नंबर	आवेदक आईडी	नाम

गाँव के तालुका _, जिला

सभी,

विषय: जेएलजी सदस्य को टर्म क्रेडिट सुविधा की स्वीकृति

आपके आवेदन दिनांक ,के संदर्भ के साथ, हमें निम्नलिखित शर्तों के अनुसार उत्पादन क्रेडिट सुविधा की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है।.

समूह स्वीकृत रकम: सुविधा: स्वीकृति का दिनांक:

क्रमांक.	ऋणकर्ता के नाम	रु. तक सीमित.	उद्देश्य	ब्याज दर ROI
अवधि: किश्तें। वितरण के बाद				
वापसी: निर्धारित समान किश्तें।				

जेएलजी के अन्य सदस्यों में से प्रत्येक द्वारा लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान की गारंटी देने के लिए प्रत्येक सदस्य सहमत होता है।

बैंक अपने स्वविवेक से प्रत्येक उधारकर्ता को दी गई ऋण सुविधाओं के संबंध में ऐसी संस्था (संस्थाओं) को इस प्रकार की सूचना दे सकता है। ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हुए अपने और गारंटरों के विधिवत हस्ताक्षर के साथ कृपया इस स्वीकृति पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।.

आपके विश्वसनीय,

बीसी माइक्रो फाइनेंस बिजनेस लीड (शाखा)

(ऐक्सिस बैंक लिमिटेड की ओर से)

हम उपरोक्त नियम और शर्तें स्वीकार करते हैं

उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 1	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 2	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 3	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 4
उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 5	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 6	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 7	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 8
उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 9	उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 10		

प्रसंस्करण शुल्क रसीद (ग्राहक कॉपी)

हम, ऐक्सिस बैंक लिमिटेड की ओर से, जेएलजी माइक्रो ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए संबंधित ग्राहकों से **प्रसंस्करण शुल्क (पीएफ)** की ओर निम्नलिखित राशि एकत्र की गई है

क्रमांक.	आवेदक आईडी	नाम	पीएफ संगृहीत

तारीख:

स्थान: **बीसी शाखा अधिकारी के हस्ताक्षर**